



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2006/चैत्र 23, 1928

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2006/CHAITRA 23, 1928

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2006

पारेषण सेवा के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के दिशानिर्देश

## 1. प्रस्तावना

सं. 11/5/2005-पी.जी.(1).— भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और विद्युत बाजार सृजित करने, दोनों के लिए पारेषण प्रणाली का विकास अनिवार्य है। दिशानिर्देशों का लक्ष्य टैरिफ-आधारित बोली देने की प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारण और पारेषण सेवाएं प्रदान करने में व्यापक भागीदारी से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बनाना है।

अधिनियम की धारा 61 और 62 उपयुक्त आयोग द्वारा विद्युत के उत्पादन, पारेषण, चक्रण (व्हीलिंग) और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के विनियमन और निर्धारण की व्यवस्था करती है। अधिनियम की धारा 63 वर्णन करती है कि -

“धारा 62 में कुछ विहित होते हुए भी उपयुक्त आयोग टैरिफ अपनाएगा अगर ऐसा टैरिफ केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली देने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।”

ये दिशानिर्देश अधिनियम की धारा 63 के उपरोक्त उपबंधों के अधीन तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- पारेषण सेवा की प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति का संवर्धन
- पारेषण लाइनों में निजी निवेश प्रोत्साहित करना
- अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और औचित्य सुविधाजनक बनाना
- विभिन्न बोलीदाताओं के लिए सूचना की विषमता में कमी सुविधाजनक बनाना।

- विद्युत की पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धी दशाएं सुविधाजनक बनाकर उपभोक्ता का हित-संरक्षण।
- मानकीकरण की वृद्धि और अनेकार्थकता कम करना और परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का समय कम करना।
- पारेषण सेवा प्रदायकों को प्रचालन में लचीलेपन की अनुमति देते समय पारेषण लाइनों के लिए मानक, मानदंड और संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

## 2. दिशानिर्देशों की सीमा

- 2.1 ये दिशानिर्देश विद्युत के पारेषण के लिए पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।
- 2.2 ये दिशानिर्देश इस अधिसूचना में उल्लिखित कार्यतंत्र के माध्यम से टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा विद्युत के पारेषण के लिए पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति और नई पारेषण लाइन के लिए पारेषण सेवा प्रदायक का चयन करने तथा निर्दिष्ट पारेषण प्रणाली तत्वों को निर्मित करने, स्वामित्व लेने, अनुरक्षित करने और प्रचालित करने हेतु लागू होंगे।
- 2.3 “पारेषण लाइन” की परिभाषा विद्युत अधिनियम, 2003 के पैरा 2(72) में किसी स्टेप-अप और स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और ऐसे केबल अथवा ऊपरी लाइनों में नियंत्रण के लिए आवश्यक और उसके लिए प्रयुक्त अन्य निर्माण कार्यो तथा ऐसे ट्रांसफॉर्मरों, स्विचगियर और अन्य निर्माण कार्यो को स्थान देने के लिए अपेक्षित ऐसे भवनों अथवा उसके भाग के साथ किसी उत्पादक स्टेशन से दूसरे उत्पादक स्टेशन अथवा सब-स्टेशन को विद्युत पारेषण के लिए सभी उच्च दाब केबलों और ऊपरी लाइनों (जो किसी लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली का अनिवार्य भाग नहीं है) के रूप में दी गई है।
- 2.4 पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति में सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, वित्त की व्यवस्था करने; परियोजना प्रबंधन, पारेषण लाइसेंस प्राप्त करने, मार्गाधिकार, आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने, कार्यस्थल की पहचान, भूमि क्षतिपूर्ति, डिजाइन इंजीनियरी, उपस्कर, सामग्री, निर्माण, उत्थापन, परीक्षण और चालू करने, अनुरक्षण और पारेषण लाइनों और/अथवा सब-स्टेशनों और/अथवा स्विचिंग स्टेशनों और/अथवा टर्मिनल स्टेशनों और एचवीडीसी पारेषण लाइन सहित एचवीडीसी संपर्क से संबद्ध कार्यकलाप शामिल होंगे। यह ऐसे तरीके से होगा कि बोली दस्तावेजों में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित पारेषण सेवाएं पूरी करने और चालू करने तक परियोजना के निष्पादन और उसके परवर्ती अनुरक्षण और प्रचालन द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि उपयुक्त आयोग द्वारा नियत पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हों। लक्ष्य से कम पारेषण लाइन की उपलब्धता के लिए टीएसपी को देय पारेषण टैरिफ नीचे पैरा 25 के अधीन उपयुक्त आयोग के उपयुक्त विनियमन के अनुसार होगा।

2.5 अगर पारेषण लाइन की उपलब्धता छः लगातार महीनों के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम है तो पारेषण सेवा का अधिप्राप्तिकर्ता अथवा बिलिंग और लेखाकरण एजेंसी अथवा पारेषण प्रणाली के प्रचालक विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निर्धारित कार्यविधि और विद्युत नियमावली, 2005 के नियम 5 के अनुसार पारेषण लाइसेंस के निरस्तीकरण की मांग कर सकते हैं।

### 3. बोली प्रक्रिया संयोजक (बीपीसी)

3.1 यहां इसके बाद बीपीसी के रूप में उल्लिखित बोली प्रक्रिया संयोजक, अपेक्षित पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

3.2 अंतर्राज्यीय पारेषण के लिए अपेक्षित पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार किसी केन्द्र सरकार के संगठन/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बीपीसी होने के लिए अधिसूचित करेगी। बीपीसी विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और बीपीसी का नामांकन एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय किसी भी समय बीपीसी के नामांकन की समीक्षा करने के लिए मुक्त होगा। इन दिशानिर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए पारेषण परियोजना के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार गठित अधिकार-प्राप्त समिति, विद्युत मंत्रालय द्वारा बीपीसी के रूप में किसी अन्य संगठन को नामित किए जाने तक, बीपीसी होगी।

3.3 अंतःराज्य पारेषण के लिए अपेक्षित पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किसी संगठन/राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बीपीसी को राज्य के लिए बीपीसी होने के लिए अधिसूचित कर सकती है।

3.4 इन दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार निवेशक के चयन की प्रक्रिया में बीपीसी द्वारा किया गया सभी व्यय प्रवर्तक, जिसे उस परियोजना को विकसित करने के लिए अंततः अभिज्ञात किया और चयन किया जाता है, से वसूल किया जाएगा। वसूल की जाने वाली राशि आरएफपी दस्तावेज में दर्शाई जाएगी ताकि बोलीदाता उनके द्वारा बताए जाने वाले टैरिफ से उस राशि को विचारार्थ ले सकें।

### 4. बोलियां आमंत्रित करने के लिए तैयारी

4.1 बीपीसी इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली प्रलेखीकरण तैयार करेंगे और उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। विकल्पतः बीपीसी विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक बोली दस्तावेजों का प्रयोग कर सकते हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार मानक बोली दस्तावेज इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। उपयुक्त आयोग का अनुमोदन आवश्यक होगा अगर मानक बोली दस्तावेजों से कोई वास्तविक विपथन किया जाना प्रस्तावित है।

4.2 बीपीसी द्वारा बोली देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में उपयुक्त आयोग को सूचना भेजी जाएगी।

4.3 अवस्थान विशिष्ट सब-स्टेशनों, स्विचिंग स्टेशनों अथवा एचवीडीसी टर्मिनल अथवा इन्वर्टर स्टेशनों के लिए बीपीसी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सफल बोलीदाता को परियोजना कार्यस्थल का हस्तांतरण सुविधाजनक बनाना होगा। बीपीसी अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मार्गाधिकार के अधिग्रहण में भी सफल बोलीदाता को सुविधा प्रदान करेगा।

#### 5. पारेषण सेवा प्रदायक (टीएसपी)

5.1 सफल बोलीदाता, अगर वह माना गया लाइसेंसधारी नहीं है, उपयुक्त विनियामक आयोग से पारेषण लाइसेंस की मांग करेगा। उपयुक्त विनियामक आयोग से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद सफल बोलीदाता को, यहां इसके बाद टीएसपी के रूप में उल्लिखित, पारेषण सेवा प्रदायक के रूप में नामोद्विष्ट किया जाएगा।

5.2 टीएसपी बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार पारेषण लाइन चालू करने और प्रचालनरत करने का कार्य पूरा करने के लिए पारेषण स्कीम का निष्पादन प्रारंभ करेगा।

#### 6. पारेषण प्रभारों की वसूली

6.1 इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली देने की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित टीएसपी द्वारा प्रदान की गई पारेषण सेवाओं के प्रयोग द्वारा विद्युत के पारेषण के लिए टीएसपी को देय कुल प्रभार इन दिशानिर्देशों के पैरा 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.4.5 में यथानिर्दिष्ट निर्धारित किया जाएगा।

6.2 पारेषण सेवाओं के प्रयोक्ताओं जैसे राज्य आपूर्ति संगठनों, वितरण कंपनियों, उत्पादन कंपनियों, व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं आदि से पारेषण प्रभारों की वसूली पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

#### 7. पारेषण प्रभार की संरचना

7.1 इन दिशानिर्देशों के अधीन पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पारेषण प्रभार अदा किया और प्रत्येक भुगतान अवधि (एक माह से अनधिक) के लिए निपटाया जाएगा। पारेषण सेवा प्रदान करने और विभिन्न पारेषण तत्वों के लिए अपेक्षित प्रचालन और अनुरक्षण के लिए पारेषण प्रभार, बोली देने और मूल्यांकन का आधार बनेगा। टैरिफ संरचना में दो संघटक होंगे एक आरोह्य (स्केलेबल) और दूसरा अआरोह्य (नन-स्केलेबल)। आरोह्य संघटक अआरोह्य संघटक के 15% से अधिक नहीं होगा।

- 7.2 बीपीसी पारेषण सेवा के लिए अपेक्षित पारेषण लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालनीकरण का निर्धारित माह निर्दिष्ट करेगा और पारेषण प्रभार के लिए बोलियां आमंत्रित करेगा।
- 7.3 बोलीदाता दो लगातार वर्षों के बीच अधिकतम दस प्रतिशत की सीमा की भिन्नता के भीतर विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न वार्षिक टैरिफ बता सकता है। प्रत्येक बोली के लिए भिन्नता सीमा बोलियां आमंत्रित करते समय बीपीसी द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।
- 7.4 बोलीदाता लाइसेंस अवधि की समाप्ति तक चालू करने के बाद देय वार्षिक टैरिफ बताएगा और देय मासिक टैरिफ, वार्षिक टैरिफ को 12 से भाग देकर प्राप्त टैरिफ होगा।
- 7.5 टैरिफ केवल भारतीय रूपए में नामोदिष्ट किया जाएगा। विदेशी मुद्रा जोखिम, अगर कोई हो, का वहन पारेषण सेवा के प्रदायक द्वारा किया जाएगा।

#### 7.6 पारेषण प्रभार का औचित्य

किसी भी बोलीदाता द्वारा बताए गए पारेषण प्रभार के औचित्य का आकलन करने का मानदंड बोली दस्तावेजों में वर्णित होगा। बीपीसी पारेषण प्रभारों के औचित्य का आकलन करेगा। बीपीसी द्वारा कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी अगर यह मूल्यांकन के बाद पाता है कि बताया गया कोई भी पारेषण प्रभार उचित नहीं है। परंतु औचित्य के आकलन करने की यह प्रक्रिया आरएफक्यू अथवा आरएफपी या संयुक्त बोली के अन्य किसी प्रावधान के अधीन किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए बीपीसी के अधिकार को सीमित नहीं करेगी।

#### 8. भुगतान सुरक्षा तंत्र

- 8.1 टीएसपी द्वारा प्रदान की जा रही पारेषण सेवाओं के प्रयोक्ता द्वारा टीएसपी को पर्याप्त भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भुगतान सुरक्षा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :
- साख-पत्र
  - प्रत्येक एस्करो तंत्र द्वारा समर्थित साख-पत्र

#### 9. बोली देने की प्रक्रिया

- 9.1 इन दिशानिर्देशों के अधीन पारेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बीपीसी अपने विकल्प पर या तो पृथक अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) वाली दो चरण की प्रक्रिया अथवा आरएफपी तथा आरएफक्यू प्रक्रियाओं को संयोजित करते हुए एकल चरण की दो लिफाफे वाली निविदा प्रक्रिया अपना सकता है। बोली दस्तावेज इन दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

1129 GI/06-2

9.2 आरएफक्यू अथवा संयुक्त आरएफक्यू और आरएफपी नोटिस कम से कम दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों, बीपीसी और उपयुक्त सरकार की वेबसाइट और अधिमानतः व्यापारिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि उन्हें व्यापक प्रचार प्रदान किया जा सके। बोली देना आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा होगा। आरएफक्यू जारी करने के प्रयोजनार्थ बोलीदाता द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम शर्तें आरएफक्यू नोटिस में निर्दिष्ट की जाएंगी।

9.3 बीपीसी किसी बोलीदाता/प्रतिभागी को निविदा दस्तावेज की केवल लिखित व्याख्या प्रदान करेगा और उसे सभी अन्य बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पार्टियां लिखित सूचना और बोलीदाताओं से स्वीकृति पर ही एकमात्र रूप से निर्भर करेंगी।

9.4 आरएफक्यू में प्रदान किए जाने वाले मानक प्रलेखीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे।

9.4.1 निम्नलिखित सहित आवश्यकताओं की परिभाषा :

- पारेषण लाइन के प्रत्येक संघटक के लिए यथा लागू तकनीकी विनिर्दिष्टियों और अवस्थान का ब्यौरा।
- बोलीदाताओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाने वाला निर्माण मानदंड।
- बोली दस्तावेजों में यथा रेखांकित न्यूनतम निवल मूल्य, राजस्व आदि सहित उसके आवश्यक साक्ष्य के साथ बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली वित्तीय आवश्यकताएं।

9.4.2 प्रस्तावित पारेषण सेवा करार (टीएसए)

टीएसपी संबंधित संगठनों के साथ पारेषण सेवा करार करेगा। इनमें उस क्षेत्र, जहां भार अवस्थित है, किसी मध्यस्थ क्षेत्र में आने वाले संगठन और क्षेत्रों के बीच अंतःक्षेत्रीय पारेषण लाइनें शामिल होंगी। करार को स्पष्टतया निम्नलिखित दर्शाना चाहिए :

- पार्टियों के बीच जोखिम आबंधन;
- पारेषण प्रभारों का अंतर-संगठन आबंधन;
- उद्योग मानकों के अनुसार दैवी आपदा का खंड;
- चूक की शर्तें और उनका सुधार तथा दंड;

संबंधित परियोजना के लिए बोली दस्तावेज प्रस्तावित टीएसए का प्रारूप प्रदान करेंगे।

- 9.4.3 बोलीदाता के प्रस्ताव की वैधता की अपेक्षित अवधि;
- 9.4.4 उपयुक्त आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट शर्तों का किसी व्यक्ति द्वारा पारेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु अनुपालन करना आरएफक्यू की आवश्यक शर्त होगी और उसे बीपीसी द्वारा आरएफक्यू में सम्मिलित किया जाएगा।
- 9.4.5 बोलीदाता/टीएसपी द्वारा आईईजीसी/राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधों, उपयुक्त आयोग के संगत आदेशों आदि सहित यथा लागू पूरे किए जाने वाले अन्य तकनीकी, प्रचालनात्मक और सुरक्षा मानदंड।
- 9.4.6 बीपीसी अपने विकल्प पर बोलियों की प्रस्तुति के समय ऋणदाताओं से वित्तीय प्रतिबद्धता के प्रदर्शन की अपेक्षा कर सकता है। यह वित्तीय समापन और विद्युत के पारेषण के लिए विपणन सेवाओं की सुपुर्दगी की प्रक्रिया तेज करेगी।
- 9.5 आरएफपी उन सभी बोलीदाताओं, जो आरएफक्यू चरण पर अर्हक हुए हैं, को जारी किया जाएगा। बीपीसी उन सभी प्रवर्तकों, जिन्होंने आरएफक्यू के लिए दस्तावेज मांगे हैं, के साथ बोली-पूर्व सम्मेलन बुला सकता है। अगर बोलीदाता किसी विपथन की मांग करते हैं और बीपीसी यह पाता है कि विपथन उचित हैं तो बीपीसी विपथन के लिए सहमत हो सकता है। स्पष्टीकरण/संशोधित बोली दस्तावेज उन सभी को दिया जाएगा, जिन्होंने विपथनों और स्पष्टीकरणों के बारे में सूचना देते हुए आरएफक्यू दस्तावेज मांगा था। जहां भी संशोधित बोली दस्तावेज जारी किए जाते हैं वहां बीपीसी ऐसे दस्तावेज जारी करने के बाद बोलियों की प्रस्तुति के लिए बोलीदाताओं को कम से कम दो महीने प्रदान करेगा।
- 9.6 आरएफपी में बीपीसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले मानक प्रलेखीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे।
- 9.6.1 चालू करने और वाणिज्यिक प्रचालनों और पारेषण सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ करने के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य तारीखें/माह।
- 9.6.2 टीएसए चयनित बोलीदाता के साथ किया जाना प्रस्तावित है। आरएफक्यू चरण में प्रस्तावित टीएसए बोली-पूर्व सम्मेलन के दौरान आरएफक्यू बोलीदाताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है और यह सभी आरएफक्यू बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। टीएसए में आगे कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
- 9.6.3 बीपीसी द्वारा अपनाई जाने वाली बोली मूल्यांकन विधि। बोलियां बोलीदाता द्वारा यथावर्णित पैकेज के अधीन शामिल सभी संघटकों के लिए मासिक पारेषण प्रभार के आधार पर मूल्यांकित की जाएंगी।

- 9.6.4 आरएफपी उस छूट कारक (डीएफ) जिसका बोलियों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाएगा, को भी निर्दिष्ट करेगा।
- 9.6.5 आरएफपी बोली बांड तथा साथ ही बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परियोजना पूर्णता गारंटी भी निर्दिष्ट करेगा।
- 9.6.6 टीएसपी और संगठनों के बीच प्रस्तावित क्षतिपूर्ति करार भी आरएफपी के साथ प्रदान किया जाएगा। यह क्षतिपूर्तिकरण टीएसपी और संगठनों दोनों पर आरएफपी में यथानिर्दिष्ट प्रारंभिक तारीख से लागू होगा।
- 9.6.7 आरएफपी अनुमानित परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में टीएसपी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संविदा निष्पादन गारंटी की राशि भी निर्दिष्ट करेगा।
- 9.6.8 आरएफपी निर्णीत हर्जाने को भी निर्दिष्ट करेगा, जो पारेषण सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत में विलम्ब की दशा में लागू होगा।
- 9.7 बोली की प्रस्तुति और मूल्यांकन**
- प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अर्हक बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी।
- 9.8 बोली मूल्यांकन समिति : बीपीसी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य के साथ बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सदस्य को पारेषण परियोजनाओं की लागत इंजीनियरी में विशेषज्ञता होगी।
- 9.9 बोलियां सार्वजनिक तौर पर खोली जाएंगी और बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।
- 9.10 तकनीकी बोलियों को यह सुनिश्चित करने के लिए रेखांकित किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां सभी तकनीकी मूल्यांकन पैरामीटरों पर आरएफक्यू दस्तावेज में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करती हैं।
- 9.11 पारेषण प्रभार बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी अगर उसमें उसे प्रस्तुत करने के लिए निविदा की शर्तों से कोई विपथन विहित है।
- 9.12 बोलीदाता, जिसने मूल्यांकन कार्यविधि के अनुसार निम्नतम पारेषण प्रभार वर्णित किया है, पर ठेके के लिए विचार किया जाएगा।



**10. विवाचन**

10.1 टीएसए अथवा टैरिफ से संबंधित किसी विवाद के मामले में वह विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

**11. बोली प्रक्रिया की समय सारणी**

11.1 बोली प्रक्रिया के लिए सुझाव दी गई एक समय-सारणी नीचे दर्शाई गई है। बीपीसी विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर यहां इसमें प्रदर्शित विस्तारित समय-सीमा दे सकता है और ऐसे परिवर्तन को इन दिशानिर्देशों से विपथन नहीं माना जाएगा।

| घटना   | प्रारंभिक तारीख से व्यतीत समय |
|--|-------------------------------|
| आरएफक्यू का प्रकाशन  | प्रारंभिक तारीख               |
| आरएफक्यू के प्रत्युत्तरों की प्रस्तुति                         | 45 दिन                        |
| प्रत्युत्तरों और आरएफपी के निर्गमन पर आधारित सूचीकरण           | 75 दिन                        |
| बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, अंतिम स्पष्टीकरण और आरएफपी का संशोधन | 90 दिन                        |
| तकनीकी और मूल्य बोली की प्रस्तुति                              | 180 दिन                       |
| बोलीदाताओं का सूचीकरण और आशय-पत्र जारी करना                    | 210 दिन                       |
| कशर पर हस्ताक्षर करना  | 240 दिन                       |

11.2 एकल चरण दो लिफाफे वाली बोली प्रक्रिया के लिए सुझाव दी गई समय-सारणी नीचे दर्शाई गई है। अधिप्राप्तिकर्ता विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर यहां इसमें दर्शाई गई विस्तारित समय-सीमा दे सकता है और ऐसे परिवर्तन को इन दिशानिर्देशों से विपथन नहीं माना जाएगा।

| घटना   | प्रारंभिक तारीख से व्यतीत समय |
|--|-------------------------------|
| आरएफक्यू का प्रकाशन                              | प्रारंभिक तारीख               |
| बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन आदि और आरएफपी का संशोधन | 60 दिन                        |
| तकनीकी और मूल्य बोली की प्रस्तुति                | 120 दिन                       |
| बोलीदाताओं का सूचीकरण और आशय-पत्र जारी करना      | 150 दिन                       |
| कशर पर हस्ताक्षर करना                            | 180 दिन                       |

1129 GI/06-3

## 12. ठेका देना और निष्कर्ष

- 12.1 अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता चयन के एक माह के भीतर पारेषण लाइसेंस देने के लिए उपयुक्त आयोग को आवेदनपत्र देगा।
- 12.2 आरएफपी चरण के पूर्व बोली दस्तावेज में अंतिम रूप दी गई शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप चयनित बोलीदाता के साथ टीएसए पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
- 12.3 बीपीसी विजेता बोली की शर्तों और अन्य सभी बोलियों की गुमनाम तुलना इंगित करते हुए बोली का मूल्यांकन सार्वजनिक करेगा। सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित सभी संविदाओं को भी सार्वजनिक किया जाएगा।
- 12.4 बीपीसी द्वारा प्रमाणीकरण के साथ अंतिम टीएसए अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग को अग्रेषित किया जाएगा।

गिरीश बी. प्रधान, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF POWER RESOLUTION

New Delhi, the 13th April, 2006

#### Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service

##### 1. Preamble

**No. 11/5/2005-PG(i).**—Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (the Act). Development of a transmission system is essential both for encouraging competition and for creating electricity markets. These guidelines are aimed at facilitating competition in this sector through wider participation in providing transmission services and tariff determination through a process of tariff based bidding.

Section 61 & 62 of the Act provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Section 63 of the Act states that –

“Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.”

These guidelines have been framed under the above provisions of section 63 of the Act. The specific objectives of these guidelines are as follows:

- Promote competitive procurement of transmission services.
- Encourage private investment in transmission lines.
- Facilitate transparency and fairness in procurement processes;
- Facilitate reduction of information asymmetries for various bidders;
- Protect consumer interests by facilitating competitive conditions in procurement of transmission services of electricity;

- Enhance standardization and reduce ambiguity and hence time for materialization of projects;
- Ensure compliance with standards, norms and codes for transmission lines while allowing flexibility in operation to the transmission service providers.

## 2. Scope of the Guidelines

- 2.1. These guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of transmission services for transmission of electricity.
- 2.2. The guidelines shall apply for procurement of transmission services for transmission of electricity through tariff based competitive bidding, through the mechanisms described in this notification and to select transmission service provider for a new transmission line and to build, own, maintain and operate the specified transmission system elements.
- 2.3. "Transmission line" has been defined in para 2(72) of the Electricity Act 2003 as all high pressure cables and overhead lines( not being an essential part of the distribution system of a licensee) transmitting electricity from a generating station to another generating station or a substation, together with any step up and step down transformers, switch gear and other works necessary to and used for the control of such cables or overhead lines, and such buildings or part thereof as may be required to accommodate such transformers, switch gear and other works.
- 2.4. Procurement of transmission services would include all activities related to survey, detailed project report formulation, arranging finance, project management, obtaining transmission license, obtaining right of way, necessary clearances, site identification, land compensation, design, engineering, equipment, material, construction, erection, testing and commissioning, maintenance and operation of transmission lines and/or substations and/or switching stations and/or HVDC links including terminal stations and HVDC transmission line. It will be in such a manner that the required transmission services as specified in the bid document are provided by execution of the project up to completion and commissioning and its subsequent maintenance and operation so that the facilities are available as per the target availability for recovery of full transmission charges fixed by the appropriate commission. For availability of transmission line below the target, subject to para 2.5 below, transmission tariff payable to the TSP will be in accordance with the appropriate regulation of the appropriate commission.
- 2.5. If the availability of the transmission line is below the norms prescribed by the CERC for six consecutive months the procurer of transmission service or the billing and accounting agency or the operator of the transmission system may seek revocation of transmission license as per the procedure laid down under the Electricity Act 2003 and in accordance with rule 5 of Electricity rules 2005.

## 3. Bid Process Coordinator (BPC)

- 3.1. The Bid Process Coordinator, herein after referred to as BPC, would be responsible for coordinating the bid process for procurement of required transmission services.

- 3.2. For procurement of transmission services, required for inter-state transmission, the Central Government shall notify any Central Government Organization/ Central Public Sector Undertaking to be the BPC. The BPC will be notified by the Ministry of Power and nomination of BPC will be for a period of three years at a time. It will be open for Ministry of Power to review the nomination of BPC at any time. For immediate implementation of these guidelines the Empowered Committee constituted as per the provisions of the "Guidelines for encouraging competition in development of Transmission Projects" will be the BPC till any other organization is nominated as BPC by the Ministry of Power.
- 3.3. For procurement of transmission services required for intra-state transmission, the appropriate State Government may notify any Organization/ State Public Sector Undertaking especially engaged for this purpose by the appropriate state government or BPC notified by the Central Government to be the BPC for the state.
- 3.4. All the expenditure incurred by the BPC in the process of selection of the investor in accordance with the provisions of these guidelines shall be recovered from the developer who is finally identified and assigned the task of developing that project. The amount to be recovered shall be indicated in the RFP document so that bidders can take that amount into consideration in the tariff to be quoted by them.

#### **4. Preparation for inviting bids**

- 4.1. The BPC shall prepare the bid documentation in accordance with these guidelines and obtain approval of the Appropriate Commission. Alternatively, the BPC can use the standard bidding documents notified by Ministry of Power. Standard Bid Documents in accordance with these guidelines will be notified by Ministry of Power within three months of the notification of these guidelines. Approval of the Appropriate Commission would be necessary if any material deviation is proposed to be made from the Standard Bid Documents.
- 4.2. Intimation shall be sent by the BPC to the appropriate Commission about initiation of the bidding process.
- 4.3. For location specific substations, switching stations or HVDC terminal or inverter stations the BPC or its authorized representative should facilitate the transfer of the project site to the successful bidder. The BPC or its authorized representative will also facilitate the successful bidder in acquisition of Right of Way.

#### **5. Transmission Service Provider (TSP)**

- 5.1. The successful bidder shall seek transmission license from the appropriate Regulatory Commission, if it is not a deemed licensee. After obtaining the license from the appropriate Regulatory Commission, the successful bidder shall be designated as the Transmission Service Provider, herein after referred to as the TSP.

- 5.2. The TSP would take-up execution of the transmission scheme so as to complete commission and operationalise the transmission line as per the specified schedule in the bid documents.

## 6. Recovery of Transmission Charges

- 6.1. Total charges for transmission of electricity by use of the transmission services provided by the TSP(s) selected through the bidding process as per these guidelines, payable to the TSP, shall be determined as specified in paras 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 and 7.5 of these guidelines.
- 6.2. Recovery of transmission charges from the users of the transmission services such as State supply utilities, distribution companies, generation companies, traders, bulk consumers, etc., shall be done as provided in the " Guidelines for encouraging competition in development of transmission Projects"

## 7. Transmission Charge Structure

- 7.1. For procurement of transmission services under these guidelines, transmission charges shall be paid and settled for each payment period (not exceeding one month). A transmission charge for providing transmission service and operation and maintenance required for the various transmission elements shall form the basis for bidding and evaluation. Tariff structure will have two components – one scaleable and the other non-scaleable. The scaleable component shall not be more than 15% of the non-scaleable component.
- 7.2. The BPC shall specify scheduled month of commercial operationalisation for the transmission line required for the transmission service and invite bids for the transmission charge.
- 7.3. A bidder can quote different annual tariff for various years within a variation band of maximum ten percent between two successive years. The variation band for every bid will be specified by the BPC while inviting bids.
- 7.4. The bidders shall quote annual tariff payable after commissioning till expiry of license period and the monthly tariff payable shall be annual tariff divided by 12.
- 7.5. Tariff shall be designated in Indian Rupees only. Foreign exchange risks, if any, shall be borne by the provider of transmission service.
- 7.6. Reasonableness of Transmission Charges:

Criteria to assess the reasonableness of transmission charges quoted by any bidder will be stated in the bid documents. BPC will assess the reasonableness of transmission charges. No bid will be accepted by the BPC if it finds after evaluation that none of the quoted transmission charges are reasonable. But this process of assessing the reasonableness will not limit the rights of the BPC to reject any or all the bids under any other provision of RFQ or RFP or combined bid.

## 8. Payment Security Mechanism

8.1. Adequate payment security shall be made available to the TSP by the user of transmission services being provided by the TSP. The payment security may constitute:

- (i) Letter of Credit (LC)
- (ii) Letter of Credit (LC) backed by credible escrow mechanism.

## 9. Bidding Process

9.1. For the procurement of transmission services under these guidelines, BPC may at its option either adopt a two-stage process featuring separate Request for Qualification (RFQ) and Request for Proposal (RFP) or adopt a single stage two envelope tender process combining the RFP and RFQ processes. The bid documents shall be prepared in accordance with para 4.1 of these guidelines.

9.2. RFQ or combined RFQ and RFP notice should be published in at least two national newspapers, website of the BPC and the appropriate Government and preferably in trade magazines also, so as to accord it wide publicity. The bidding shall necessarily be by way of International Competitive Bidding (ICB). For the purpose of issue of RFQ minimum conditions to be met by the bidder shall be specified in the RFQ notice.

9.3. BPC shall provide only written interpretation of the tender document to any bidder / participant and the same shall be made available to all other bidders. All parties shall rely solely on written communication and acceptances from the bidders.

9.4. Standard documentation to be provided in the RFQ shall include,

9.4.1. Definition of requirements, including:

- Details of location and technical specifications as may be applicable for each component of the transmission line ;
- Construction milestones to be specified by the bidders;
- Financial requirements to be met by bidders including, minimum net-worth, revenues, etc with necessary proof of the same, as outlined in the bid documents;

9.4.2. Proposed Transmission Service Agreement(TSA)

The TSP will enter into a Transmission Service Agreement (TSA) with the concerned utilities. These may include the utilities falling in the region where the load is located, any intervening region and the interregional transmission lines between the regions. The agreement should clearly indicate

- Risk allocation between parties;
- Inter -- utility allocation of transmission charges
- Force majeure clauses as per industry standards;
- Default conditions and cure thereof, and penalties;

The bid document for the concerned project shall provide a draft of proposed TSA.

- 9.4.3. Required Period of validity of offer of bidder;
- 9.4.4. The conditions as specified by the Appropriate Commission to be complied with by a person for being eligible to obtain a transmission licence shall be necessary conditions for RFQ and will be incorporated in the RFQ by BPC.
- 9.4.5. Other technical, operational and safety criteria to be met by bidder/TSP, including the provisions of the IEGC/State Grid Code, relevant orders of the Appropriate Commission, etc., as applicable.
- 9.4.6. The BPC may, at its option, require demonstration of financial commitments from lenders at the time of submission of the bids. This would accelerate the process of financial closure and delivery of transmission services for transmission of electricity;
- 9.5. RFP shall be issued to all bidders who have qualified at the RFQ stage. BPC may call a pre bid conference with all the developers who have sought documents for RFQ. In case the bidders seek any deviations and BPC finds that deviations are reasonable, the BPC may agree to deviation. The clarification/revised-bidding document shall be given to all who had sought the RFQ document informing about the deviations and clarifications. Wherever revised bidding documents are issued, the BPC shall provide bidders at least two months after issue of such documents for submission of bids.
- 9.6. Standard documentation to be provided by the BPC in the RFP shall include,
- 9.6.1. Specified target dates/months for commissioning and commercial operations and start of providing the transmission services.
- 9.6.2. TSA proposed to be entered with the selected bidder. The TSA proposed in the RFQ stage may be amended based on the inputs received from the RFQ bidders during the pre bid conference and it will be made available to all RFQ bidders. No further amendments shall be carried out in the TSA;
- 9.6.3. Bid evaluation methodology to be adopted by the BPC. The bids shall be evaluated based on monthly transmission charges for all components covered under the package as quoted by the bidder.
- 9.6.4. The RFP shall also specify the Discount Factor (DF) that would be used for evaluation of bids.
- 9.6.5. The RFP will also specify the bid bond as well as the project completion guarantee that the bidders will have to furnish.
- 9.6.6. The proposed indemnification agreement between the TSP and the utilities will also be provided along with the RFP. This indemnification will be applicable to both the TSP and the utilities from the zero date as specified in the RFP.

- 9.6.7. RFP will also specify the amount of contract performance Guarantee as percentage of estimated project cost that the TSP will have to furnish.
- 9.6.8. The RFP shall also specify the liquidated damages that would apply in event of delay in start of providing the transmission services.
- 9.7. Bid submission and evaluation  
To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders will be two.
- 9.8. Bid evaluation committee The BPC shall constitute a committee for evaluation of the bids with at least one member each from CEA and the concerned Regional Power Committees. The member from CEA shall have expertise in cost engineering of transmission projects.
- 9.9. The bids shall be opened in public and representatives of bidders shall be allowed to remain present.
- 9.10. The technical bids shall be scored to ensure that the bids submitted meet minimum eligibility criteria set out in the RFQ documents on all technical evaluation parameters. Only the bids that meet all elements of the minimum technical criteria set out in the RFQ shall be considered for further evaluation on the transmission charges bids.
- 9.11. The transmission charge bid shall be rejected if it contains any deviation from the tender conditions for submission of the same.
- 9.12. The bidder who has quoted lowest transmission charge as per evaluation procedure shall be considered for the award.

## 10. Arbitration

- 10.1. In case of any dispute regarding TSA or tariff, the same will be subject to jurisdiction of the appropriate Regulatory Commission under the provisions of the Electricity Act 2003.

## 11. Time Table for Bid Process

- 11.1. A suggested time-table for the bid process is indicated below. The BPC may give extended time-frame indicated herein based on the prevailing circumstances and such alterations shall not be construed to be deviation from these guidelines.

| Event   | Elapsed Time from Zero date |
|---|-----------------------------|
| Publication of RFQ  | Zero date                   |
| Submission of Responses of RFQ  | 45 days                     |
| Short listing based on responses and issuance of RFP                    | 75 days                     |
| Bid clarification, conferences, Final clarification and revision of RFP | 90 days                     |
| Technical and price bid submission                                      | 180 days                    |
| Short listing of bidder and issue of LOI                                | 210 days                    |
| Signing of Agreements   | 240 days                    |



11.2. A suggested time-table for the Single stage two envelope bid process is indicated below. The procurer may give extended time-frame indicated herein based on the prevailing circumstances and such alterations shall not be construed to be deviation from these guidelines.

| Event   | Elapsed Time from Zero date |
|---|-----------------------------|
| Publication of RFP                                    | Zero date                   |
| Bid clarification, conferences etc. & revision of RFP | 60 days                     |
| Technical and price bid submission                    | 120 days                    |
| Short-listing of bidder and issue of LOI              | 150 days                    |
| Signing of Agreements                                 | 180 days                    |

## 12. Contract award and conclusion

- 12.1. Finally selected bidder shall make an application for grant of transmission license to the appropriate Commission within one month of selection.
- 12.2. The TSA shall be signed with the selected bidder consequent to the selection process in accordance with the terms and conditions as finalized in the bid document before the RFP stage.
- 12.3. The BPC shall make evaluation of bid public by indicating terms of winning bid and anonymous comparison of all other bids. All contracts signed with the successful bidders shall also be made public.
- 12.4. The final TSA along with the certification by the BPC shall be forwarded to the Appropriate Commission for adoption of tariffs in terms of Section 63 of the Act

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2006

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश

सं. 11/5/2005-पी.जी.(2).—विद्युत अधिनियम, 2003 पारेषण में प्रतिस्पर्धा की संकल्पना करता है और इसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है।

2. दिनांक 12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति अन्य बातों के साथ-साथ वर्णन करती है कि —

“5.3.1 देश के लिए संतुलित और समेकित विद्युत प्रणाली के विकास हेतु पारेषण प्रणाली में पर्याप्त एवं समयबद्ध निवेश, उसका दक्ष और समन्वित संचालन की आवश्यकता होती है।

5.3.2 उत्पादन में व्यापक वृद्धि और विद्युत बाजार के विकास को भी ध्यान में रखते हुए पारेषण क्षमता पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है।

5.3.10 पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रणालियों का सृजन किया जाएगा ताकि 2012 तक मांग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जा सके।

1129 GI/06-5

5.8.1 .....क्षेत्र के अपेक्षित विस्तार के महत्व पर विचार करते हुए, निवेशों के एक निश्चित भाग को निजी क्षेत्र से लाने की आवश्यकता भी होगी। यह अधिनियम विभिन्न घटकों में प्रवेश अवरोधों को हटाकर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। अधिनियम की धारा 63 विभिन्न घटकों में प्रतियोगी आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की भागेदारी का प्रावधान करती है जिससे निजी क्षेत्र निवेश और अधिक बढ़ेगा।”

3. राष्ट्रीय विद्युत नीति में यथासंकल्पित देश में पारेषण क्षमता का सुगम और तीव्र विकास सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ पारेषण परियोजनाओं को टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के लिए अभिज्ञात किया जाएगा, जिनमें केन्द्र और राज्य दोनों के पारेषण संगठन तथा निजी निवेशक भाग ले सकते हैं।

4. सभी पारेषण परियोजनाओं को सक्षम और मितव्ययी तरीके से विकसित करने के अंतिम लक्ष्य से इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

### **परिदर्शी, अल्पावधिक और नेटवर्क योजनाएं**

5. केन्द्रीय पारेषण संगठन (सीटीयू) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2)(ख) के अनुसार अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना बनाने और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना होता है। अधिनियम की धारा 38(2)(ग) के अनुसार सीटीयू को उत्पादक स्टेजनों से भार केन्द्रों तक विद्युत के सुगम प्रवाह के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों की सक्षम, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना होगा।

6. अधिनियम की धारा 73(क) के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को “राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को सुझाव देना; विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पावधिक और परिदर्शी योजनाएं तैयार करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों में सहायक होने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु योजना बनाने वाली एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वयन करना और सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और वहनीय विद्युत प्रदान करना होगा।”

7. विद्युत अधिनियम की धारा 3, उप-धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करनी होगी।

8. राष्ट्रीय विद्युत नीति का पैरा 3.2 यह व्यवस्था करता है कि “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अल्पावधिक और परिदर्शी योजना तैयार करेगा। राष्ट्रीय विद्युत योजना 15 वर्ष का परिदृश्य देते हुए पांच वर्ष के अल्पावधिक ढांचे के लिए होगी।” राष्ट्रीय विद्युत नीति का पैरा 3.4 यह भी व्यवस्था करता है कि “चालू 10वीं योजनावधि और 11वीं योजना तथा 10वीं, 11वीं और 12वीं योजनावधियों के लिए परिदर्शी योजना हेतु राष्ट्रीय विद्युत योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार मौजूदा विद्युत योजना की समीक्षा और संशोधन करने के बाद तैयार की जाएगी और अधिसूचित की जाएगी।”

9. राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार “केन्द्रीय पारेषण संगठन (सीटीयू) और राज्य पारेषण संगठन (एसटीयू) का राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर अधिनियम में यथा प्रदत्त सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय से नेटवर्क योजना बनाने और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व है।” विद्युत अधिनियम की धारा 38(2) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था करती है :

“केन्द्रीय पारेषण संगठन का कार्य निम्नलिखित होगा --

- क. अंतर्राज्जीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत का पारेषण करना;
- ख. निम्नलिखित के साथ अन्तर्राज्जीय पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना बनाने और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन --
1. राज्य पारेषण संगठन
  2. केन्द्र सरकार
  3. राज्य सरकार
  4. उत्पादक कंपनियां
  5. क्षेत्रीय विद्युत समितियां
  6. प्राधिकरण
  7. लाइसेंसधारी
  8. इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई व्यक्ति”

नेटवर्क योजना विद्युत अधिनियम के उपरोक्त उपबंधों और राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार तैयार की जाएगी।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित योजनाएं तैयार की जाएंगी :

- तीन पंचवर्षीय योजनावधियों के लिए **परिदर्शी योजना** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाएगी।
- एक पंचवर्षीय योजनावधि की समतुल्य **अल्पावधिक योजना** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाएगी।
- राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर **नेटवर्क योजना** केन्द्रीय पारेषण संगठन (सीटीयू) द्वारा तैयार की जाएगी।

नेटवर्क योजना, अल्पावधिक योजना और परिदर्शी योजना इन योजनाओं को तैयार करने का कार्य सौंपे गए संबंधित संगठनों की वेबसाइट में रखी जाएगी।

11. नेटवर्क योजना की जब भी आवश्यकता हो परंतु वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी और उसे अद्यतन किया जाएगा। नेटवर्क योजना में नई लाइनों और सब-स्टेशनों के लिए परियोजनाओं, मौजूदा लाइनों और अंतःक्षेत्रीय पारेषण लाइनों का सुदृढीकरण और उन्नयन शामिल होगा। नेटवर्क योजना स्पष्टतः परियोजना की सीमा; वोल्टेज स्तर, लाइन और कंडक्टर कन्फिग्युरेशन आदि; पारेषण लाइन की लम्बाई और सब-स्टेशन अथवा एचवीडीसी पारेषण लाइनों के कन्वर्टर स्टेशनों के संभावित स्थान सहित डिजाइन विनिर्दिष्टियों जैसे स्थूल पैरामीटरों की पहचान करेगी।

12. अगर कोई प्रवर्तक कोई पारेषण लाइन जोकि समर्पित पारेषण लाइन (विद्युत अधिनियम, 2003 में यथा परिभाषित) नहीं है और नेटवर्क योजना में शामिल नहीं है, निर्मित करने का प्रस्ताव करता है तो उसका निर्माण अपेक्षित भार प्रवाह अध्ययन और अन्य संगत अध्ययनों जैसे आवश्यक आंकड़ों के आधार पर सीटीयू द्वारा नेटवर्क योजना में शामिल किए जाने के बाद किया जाएगा। अगर ऐसे अध्ययन नहीं किए गए हैं तो इन्हें सीटीयू द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत का वहन प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा।

### अधिकार-प्राप्त समिति

13. विद्युत मंत्रालय द्वारा एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी। इसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सदस्यों के रूप में सदस्य (विद्युत प्रणाली) और सदस्य (ईएंडसी) दोनों शामिल होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति में विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग, सीटीयू\* से प्रतिनिधिगण और विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले विद्युत क्षेत्र से दो विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

14. अधिकार-प्राप्त समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :-

- (क) इस स्कीम के अधीन विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करना।
- (ख) किसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से बोली दस्तावेज और बोली के आमंत्रण की तैयारी सुविधाजनक बनाना।
- (ग) बोलियों का मूल्यांकन सुविधाजनक बनाना।
- (घ) प्रवर्तक और संबंधित संगठनों के बीच पारेषण सेवा करार (टीएसए) को अंतिम रूप देना और हस्ताक्षर करना सुविधाजनक बनाना।
- (ङ) इस स्कीम के अधीन परियोजनाओं का विकास सुविधाजनक बनाना।

15. अधिकार-प्राप्त समिति के लिए सचिवालय सहायता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।

### परियोजनाओं की पहचान

16. इस स्कीम के अधीन परियोजनाओं की पहचान इस तरीके से की जाएगी कि इसमें कठिन और कम कठिन दोनों परियोजनाओं का संतुलित मिश्रण हो सके। भू-भाग की प्रकृति और मार्गाधिकार से संबंधित मुद्दे, अधिग्रहित किया जाने वाला भूमि क्षेत्र और पर्यावरण तथा वन संबंधी स्वीकृतियों में शामिल मुद्दे कठिन अथवा कम कठिन परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक कारक होंगे।

\* सीटीयू से अधिकार-प्राप्त समिति का सदस्य उन मामलों, जहां सीटीयू बोलीदाताओं में से एक है, में प्रवर्तक के चयन में भाग नहीं लेगा।

## परियोजना निर्माण

17. तीन पंचवर्षीय योजनाओं, अल्पावधिक योजना और नेटवर्क योजना को शामिल करते हुए जब एक बार परिदर्शी योजना तैयार कर ली जाती है तब इनमें से कुछ परियोजनाओं की पहचान प्रतिस्पर्धी बोली के लिए इस स्कीम के अधीन शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के रूप में की जाएगी। पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई परियोजनाओं तथा उनकी तकनीकी और अन्य विनिर्दिष्टियों के संबंध में पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) को सभी सूचना उपलब्ध कराने में समर्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। इन अभिज्ञात परियोजनाओं को तब प्रतिस्पर्धी बोली के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त विस्तार से तैयार करने की आवश्यकता होगी। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लाइन के आंकड़े यथा वोल्टता स्तर, लाइन के कन्फिग्युरेशन यथा एस/सी अथवा डी/सी; अनुमानित मार्ग लम्बाई, कंडक्टर की किस्म और कंडक्टर का कन्फिग्युरेशन आदि तथा सब-स्टेशन अथवा कन्वर्टर स्टेशन के स्थान और विनिर्दिष्टियों से संबंधित संगत आंकड़े विहित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामने आने वाले संभावित भू-भाग की किस्म और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), सांविधिक स्वीकृतियों और एचवीडीसी लाइन के मामले में सब-स्टेशन अथवा कन्वर्टर स्टेशन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के रूप में उसकी संभावित जटिलता से संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसी सरकारी एजेंसी अथवा किसी परामर्शदाता को दिया जा सकता है। परियोजना निर्माण पर व्यय होने वाली लागत उस एजेंसी, जो अंत में परियोजना का कार्यान्वयन करती है, से वसूल की जाएगी।

18. सीटीयू परियोजनाओं को तैयार करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का निधिपोषण करेगा। सीटीयू, जैसा भी मामला हो, इस राशि को उस एजेंसी, जो परियोजना कार्यान्वित करती है, ऊपर पैरा 17 के अनुसार वसूल करेगा।

## प्रवर्तक का चयन

19. अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए प्रवर्तक का चयन पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सीटीयू/एसटीयू और संयुक्त उपक्रम कंपनियां भी बोली देने के पात्र होंगे ताकि बोलीदाताओं के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हो।

## पारेषण के लिए लाइसेंस

20. अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा चयन की सिफारिश के साथ चयनित प्रवर्तक पारेषण लाइसेंस देने के लिए उपयुक्त आयोग से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुरोध करेगा। अगर यह तीस दिनों के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन देने में विफल रहता है तो यह उसका चयन निरस्त किए जाने योग्य होगा। ऊपर यथाप्रदत्त चयन का निरस्तीकरण चयनित निजी कंपनी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा।

### पारेषण प्रभारों का भुगतान

21. प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अंतिम रूप दिए गए और उपयुक्त आयोग द्वारा स्वीकृत पारेषण प्रभार के भुगतान के लिए प्रवर्तक और संबंधित संगठनों के बीच पारेषण सेवा करार (टीएसए) पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
22. पारेषण सेवा करार (टीएसए) में अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान सुरक्षा के लिए व्यवस्था शामिल होगी, जिसमें अपेक्षित राशि का आवर्ती साख-पत्र और एस्क्रो व्यवस्था विहित होगी।
23. अगर किसी संगठन/लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान में कोई चूक होती है तो आरएलडीसी प्रवर्तक की सहायता करेगा। अगर किसी संगठन/उपभोक्ता से पारेषण प्रभार अतिदेय हो जाते हैं तो इसके लिए पारेषण सेवाएं विनियमित की जा सकती हैं।

### राज्य पारेषण परियोजनाएं

24. जहां तक अंतः-राज्य परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को अपना सकती हैं और राज्य के भीतर पारेषण परियोजनाएं सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसी ही समान समितियां गठित कर सकती हैं।

### परियोजनाओं का अनुवीक्षण

25. सफल बोलीदाता द्वारा पारेषण परियोजनाओं की सामयिक पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार परियोजना के निष्पादन की प्रगति का अनुवीक्षण करेगा।

गिरीश बी. प्रधान, संयुक्त सचिव

### RESOLUTION

New Delhi, the 13th April, 2006

### Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects

**No. 11/5/2005-PG(ii).**—The Electricity Act, 2003 envisages competition in transmission and has provisions for grant of transmission licenses by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) as well as State Electricity Regulatory Commissions (SERCs).

2. The National Electricity Policy notified on 12<sup>th</sup> February, 2005 inter-alia states that –

“5.3.1 The Transmission System requires adequate and timely investments and also efficient and coordinated action to develop a robust and integrated power system for the country.

5.3.2 Keeping in view the massive increase planned in generation and also for development of power market, there is need for adequately augmenting transmission capacity.....

5.3.10 Special mechanisms would be created to encourage private investment in transmission sector so that sufficient investments are made for achieving the objective of demand to be fully met by 2012.

5.8.1 Considering the magnitude of the expansion of the sector required, a sizeable part of the investments will also need to be brought in from the private sector. The Act creates a conducive environment for investments in all segments of the industry, both for public sector and private sector, by removing barrier to entry in different segments. Section 63 of the Act provides for participation of suppliers on competitive basis in different segments which will further encourage private sector investment.”

3. In order to facilitate the smooth and rapid development of transmission capacity in the country as envisaged in the National Electricity Policy, some transmission projects will be identified for tariff based competitive bidding, in which Private Investors and Transmission Utilities, both Central and State, can participate.

4. These guidelines will be reviewed from time to time with the ultimate aim of developing all transmission projects in an efficient and economical manner.

#### **PERSPECTIVE, SHORT TERM AND NETWORK PLANS**

5. Central Transmission Utility (CTU) has to discharge all functions of planning and coordination relating to inter state transmission system according to section 38(2) (b) of the Electricity Act 2003. According to section 38(2) (c) of the Act, the CTU has to ensure the development of an efficient, coordinated and economical system of inter state transmission lines for smooth flow of electricity from generating stations to load centers.

6. According to Section 73(a) of the Act, the Central Electricity Authority (CEA) has to “advise the Central Government on the matters relating to the national electricity policy, formulate short-term and perspective plans for development of the electricity system and co-ordinate the activities of the planning agencies for the optimal utilization of resources to subserve the interests of the national economy and to provide reliable and affordable electricity for all consumers.”

7. According to Section 3 subsection 4 of the Electricity Act, the CEA has to prepare the National Electricity Plan in accordance with the National Electricity Policy.

8. Para 3.2 of the National Electricity Policy provides “the CEA shall prepare short term and perspective plan. The National Electricity Plan would be for a short- term framework of five years while giving a 15 year perspective”. Para 3.4 of the National Electricity Policy also provides “the National Electricity Plan for the ongoing 10<sup>th</sup> Plan period and the 11<sup>th</sup> Plan

and Perspective Plan for the 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> Plan periods would be prepared and notified after reviewing and revising the existing Power Plan prepared by CEA.”

9. According to the National Electricity Policy “the Central Transmission Utility (CTU) and State Transmission Utility (STU) have the key responsibility of **network planning** and development based on the National Electricity Plan in coordination with all concerned agencies as provided in the Act.” Section 38(2) of the Electricity Act, inter alia, provides the following:

“The functions of the Central Transmission Utility shall be –

- a. To undertake transmission of electricity through inter-State transmission system;
- b. To discharge all functions of planning and co-ordination relating to inter-state transmission system with –

1. State Transmission Utilities;
2. Central Government;
3. State Governments;
4. Generating companies;
5. Regional Power Committees;
6. Authority;
7. Licensees;
8. Any other person notified by the Central Government in this behalf”

The Network Plan will be prepared as per the above provisions of the Electricity Act and the National Electricity Policy.

10. In view of the above the following plans will be prepared:

- **Perspective Plan** for three five year plan periods will be prepared by CEA.
- **Short Term Plan** corresponding with one five year plan period will be prepared by CEA.

Both these plans form part of the National Electricity Plan.

- **Network Plan** will be prepared by the CTU based upon the National Electricity Plan.

The Network Plan, Short Term Plan and the Perspective Plan will be hosted on the websites of the respective organizations, entrusted with the task of formulation of these plans.

11. The Network plan will be reviewed and updated as and when required but not later than once a year. The Network Plan would include



the projects for new lines and substations, strengthening and up gradation of the existing lines and interregional transmission lines. The Network Plan will clearly identify the scope of the project, broad parameters such as design specifications including Voltage level, Line and conductor configuration etc., length of transmission line and probable location of substation or converter station of HVDC transmission lines.

12. If any developer proposes to construct a transmission line, not being a dedicated transmission line (as defined in the Electricity Act 2003) and not included in the Network Plan, the same will be constructed after being included in the Network Plan by the CTU on the basis of necessary data such as required load flow study and other relevant studies. If such studies have not been done then these will be undertaken by the CTU, the cost for which will be borne by the developer.

#### **EMPOWERED COMMITTEE**

13. An Empowered Committee will be constituted by the Ministry of Power. The Committee will be chaired by a Member of the CERC, to be nominated by the Chairman, CERC. It shall have both Member (Power System) and Member (E&C) from the CEA as members. Besides the above, the Committee shall have representatives from the Ministry of Power, the Planning Commission, the CTU\* and two experts from the power sector to be nominated by the Ministry of Power.

14. The functions of the Empowered Committee will be the following:

- a) To identify projects to be developed under this Scheme.
- b) To facilitate preparation of bid documents and invitation of bid through a suitable agency.
- c) To facilitate evaluation of bids.
- d) To facilitate finalization and signing of Transmission Service Agreement (TSA) between the developer and the concerned utilities.
- e) To facilitate development of projects under this Scheme.

15. The secretarial assistance for the Empowered Committee will be provided by the Central Electricity Authority.

---

\* Member of the Empowered Committee from the CTU will not take part in the selection of the developer in those cases where CTU is one of the bidders.

## IDENTIFICATION OF PROJECTS

16. Identification of projects under this Scheme will be done in such a way that it results in a balanced mix of both difficult and less difficult projects. The nature of the terrain and issues relating to right of way, land area to be acquired and issues involved in environment and forest clearances would be material factors in relation to difficult or less difficult projects.

## PROJECT FORMULATION

17. Once the Perspective Plan, covering three five year plans, the Short Term

Plan and the Network Plan have been prepared; some of these projects will be identified as projects to be covered under this Scheme for competitive bidding. In order to attract private investment in the transmission sector it is very important to be able to make available all the information to the stakeholders, regarding new projects and their technical and other specifications. These identified projects would then need to be formulated with adequate details to enable competitive bidding to take place. Detailed Project Report (DPR) for these projects shall be prepared. The DPR must contain relevant data regarding the line i.e. voltage level, line configuration i.e. S/C or D/C, approximate route length, conductor type and conductor configuration etc and location and specifications of the substations or converter stations. In addition, information regarding the type of terrain likely to be encountered and its likely implication in terms of Right of Way (ROW), statutory clearances and land area to be acquired for the substation or converter station, in case of HVDC line, will be made available. This task of preparation of DPR can be given to any government agency or to a consultant. The cost incurred on project formulation will be recovered from the agency that finally undertakes the implementation of the project.

18. CTU will fund the formulation of projects and preparation of DPR. CTU, as the case may be, will recover this amount from the agency that implements the project as indicated in para 17 supra.

**SELECTION OF DEVELOPER**

19. The selection of developer for identified projects would be through tariff based bidding for transmission services according to the guidelines issued by the Ministry Of Power under section 63 of the Electricity Act, 2003. CTU/STUs and Joint Venture Companies will also be eligible to bid, so that there is sufficient competition among the bidders.

**LICENSE FOR TRANSMISSION**

20. Along with the recommendation of selection by the Empowered Committee, the selected developer shall approach the Appropriate Commission, within a period of 30 days, for grant of transmission license. If it fails to apply for license within thirty days then it will be liable for cancellation of its selection. Cancellation of selection as provided above will be done by the Empowered Committee only after giving the selected private company an opportunity to be heard.

**PAYMENT OF TRANSMISSION CHARGES**

21. A Transmission Service Agreement (TSA) will be signed among the developer and the concerned utilities for payment of the transmission charges finalized on the basis of competitive bidding and accepted by the appropriate Commission.

22. TSA shall, inter alia, include an arrangement for payment security, which will consist of revolving letter of credit of required amount and escrow arrangement.

23. RLDC will assist the developer in case there is any default in payment by any utility/licensee. For this transmission services could be regulated if transmission charges become overdue from any utility/consumer.

**STATE TRANSMISSION PROJECTS**

24. As far as intra state projects are concerned the state governments may adopt these guidelines and may constitute similar committees for facilitation of transmission projects within the state.

**MONITORING OF THE PROJECTS**

25. To ensure the timely completion of the transmission projects by the successful bidder, the Central Electricity Authority shall monitor the progress of the execution of the project as per the conditions of the license issued by the Central Electricity Regulatory Commission.

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.